राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक-20250624310002़6/अ—62 वर्ष 2024—25

1	2	3
20/6/2025	प्रकरण आदेशार्थ नियत।	
	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक भीखम लाल साहू अध्यक्ष ग्राम विकास समिति दियाबाती एवं ग्रामवासी दियाबाती ने अवगत कराया है कि ग्राम दियाबाती में दिनांक 21.05.2025 को बहुत, आंधी तुफान आया है। जिसमें घास जमीन पर बबूल के 19 नग पेड़ जड़ सहित गिर गया है। 3—4 झाड़ विद्युत तार में गिर गया है, जिससे मोटर लाईन के लिये असुविधा हो रही है। उक्त झाड़ को कटवाने की अनुमति चाही गई है।	
	प्रकरण दर्ज किया गया तथा मौका निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन मय प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से लिया गया।	
	राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार ग्राम दियाबाती पहनं 13 तहसील गुरूर में मौके पर शासकीय भूमि क्रमशः खसरा नंबर 384 मद घांस में 4 वृक्ष, खसरा नंबर 398/2 मद घास में 2 वृक्ष, खसरा नंबर 400 मद घास में 1 वृक्ष, खसरा नंबर 259 मद घास में 1 वृक्ष, खसरा नंबर 250 मद पानी के नीचे (नहर—नाली) में 1 वृक्ष खसरा नंबर 255 मद घास में 2 वृक्ष तथा खसरा नंबर 254 मद आबादी में 3 वृक्ष इस प्रकार कुल 14 बबूल प्रजाति का वृक्ष दिनांक 21.05.2025 को आये आकस्मिक आंधी तुफान से जड़ सहित उखड़कर जमीन पर पड़ा हुआ है। तालाब के पास स्थित पीपल वृक्ष की शाखा गिरने से आवागमन बाधित हो गया है। सार्वजनिक हित में गिरे हुए वृक्षों को कटवाने की आवश्यकता है।	
	प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन का परिशीलन किया। प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए एवं समग्र जनहित में ग्राम दियाबाती पहनं 13 स्थित शासकीय भूमि क्रमशः खसरा नंबर 384 मद घांस में 4 वृक्ष, खसरा नंबर 398/2 मद घास में 2 वृक्ष, खसरा नंबर 400 मद घास में 1 वृक्ष, खसरा नंबर 259 मद घास में 1 वृक्ष, खसरा नंबर 250 मद पानी के नीचे (नहर—नाली) में 1 वृक्ष खसरा नंबर 255 मद घास में 2 वृक्ष तथा खसरा नंबर 254 मद आबादी में 3 वृक्ष इस प्रकार कुल 14 बबूल प्रजाति के विदोहन की अनुमति छ0ग0 भू—राजस्व	

20/6/2025

संहिता की धारा 240–241 में बने प्रावधानों के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है–

01. वृक्ष की कटाई ग्राम पंचायत दर्रा के द्वारा किया जावे, तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी/कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित रहेंगे।
02. काष्ठ की नीलामी सरपंच ग्राम पंचायत दर्रा द्वारा विधिवत कराया जाकर प्राप्त राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में सरपंच व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।
03. वृक्ष कटाई में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ग्राम पंचायत दर्रा के द्वारा की जावेगी।
04. सरपंच ग्राम पंचायत दर्रा व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएगे।
05. रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय को दी जाएगी।
06. स्वीकृत वृक्ष संख्या 14 से अधिक वृक्षों को न काटा जावे।
07. यदि सरपंच ग्राम पंचायत दर्रा के द्वारा वृक्ष कटाई में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो स्वीकृत वृक्षों की कटाई वन विभाग से कराई जावे।
08. किसी प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

आदेश की प्रति सर्वसंबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 20/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

20/6/2025

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) गुरूर जिला बालोद

भीखम लाल साहू

प्रतिलिपिः–

01. तहसीलदार गुरूर को सूचनार्थ।
02. वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र गुरूर को सूचनार्थ।
03. सरपंच ग्राम पंचायत दर्रा वि.ख. गुरूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. पटवारी, पहनं0 13 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
05. आवेदक भीखम लाल साहू अध्यक्ष ग्राम विकास समिति दियाबाती तहसील गुरूर को सूचनार्थ।

20/6/2025

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) गुरूर जिला बालोद

Scanned with OKEN Scanner